कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक–~~स्थायीआदेश~~-01/20-1(अवैधकटान)दिनांक लखनऊ, मार्च, 25, 2015

स्थाई आदेश

ग्रामीण क्षेत्रों के वृक्षों के अवैध कटान और अभिवहन से सम्बन्धित अभिलेखों को आधार बनाकर प्रदेश के वन क्षेत्रों से बहुमूल्य प्रजाति के वृक्षों के अवैध कटान एवं अभिवहन के प्रकरणों में विगत कुछ समय में वृद्धि हुई है जो कि चिन्ताजनक है। वर्त्तमान में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (यथासंशोधित) तथा उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 1978 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत विभिन्न प्रभागों/वृत्तों/क्षेत्रों के द्वारा किये जाने वाली कार्यवाही में एकरूपता का अभाव दृष्टिगोचर हुआ है जिसका लाभ अवैध कटान तथा अवैध अभिवहन करने वाले उठा रहे हैं।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (यथासंशोधित) तथा उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 1978 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत नियमों के आलोक में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं –

1. बहुमूल्य प्रकाष्ठ यथा शीशम, सागौन, साल, खैर, चंदन, रेड सैंडर्स के प्रकाष्ठ बरामद होने पर जांच अधिकारी द्वारा स्वयं प्रकाष्ठ के श्रोत (जहाँ से वृक्ष काटे गये हों) की जांच की जायेगी एवं किसी भी स्थिति में इसका प्रतिनिधायन निम्नतर अधिकारी को नहीं किया जायेगा।
2. बिना प्रकाष्ठ का श्रोत सत्यापित किये हुए अभिवहन पास किसी भी स्थिति में जारी नहीं किया जायेगा।
3. फर्द बरामदगी तीन पृष्ठों में नम्बरयुक्त बुक के रुप में संधारित किया जायेगा। बिना नम्बर की फर्द बरामदगी देने वाले कर्मचारी को पूर्ण रुप से दोषी माना जायेगा एवं उसके विरूद्ध फर्द बरामदगी में सम्मिलित प्रकाष्ठ के मूल्य के बराबर आर्थिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
4. जांच रिपोर्ट भी नम्बरयुक्त एवं दो प्रतियों में होगी और प्रत्येक जांच अधिकारी को नम्बरयुक्त जांच रिपोर्ट प्रपत्रों की किताबें उपलब्ध करायी जायेंगी। बिना नम्बर एवं बिना दिनांक की जांच रिपोर्ट ग्राह्य नहीं होगी।
5. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत **प्रशमन से पूर्व जब्त किये गये प्रकाष्ठ (प्रस्तर 1 में उल्लिखित प्रजातियाँ) के बोटों की संख्या तथा नपत का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।** इसके अभाव में सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रकरण को किसी भी स्थिति में **प्रशमित नहीं किया जायेगा।**

6. बहुमूल्य प्रकाष्ठ यथा शीशम, सागौन, साल, चंदन, रेड सैंडर्स के प्रशमन हेतु लिये जाने वाले प्रशमन शुल्क की धनराशि भी ऐसी होनी चाहिये जो कि निवारक (deterrent) हो जिससे कि ऐसी कार्यवाही में लिप्त अभियुक्तों को दुबारा ऐसा करने से पूर्व सोचना पड़े।
7. ऐसा प्रकाष्ठ जिसमें निर्धारित सम्पत्ति चिन्ह नहीं लगा है एवं तदनुसार सम्पत्ति चिन्ह रवन्ने में अंकित नहीं किया गया है और इसके बावजूद उस प्रकाष्ठ के अभिवहन हेतु रवन्ना जारी किया गया है, वह प्रकाष्ठ पूर्ण रूप से अवैध माना जायेगा तथा इस हेतु रवन्ना जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
8. कोई भी रवन्ना/अभिवहन पास बिना बोटों की संख्या के उल्लेख के शून्य घोषित माना जायेगा।
9. बहुमूल्य प्रकाष्ठ (प्रस्तर 1 में उल्लिखित प्रजातियाँ) का अभिवहन पास कदापि वजन से जारी नहीं किया जायेगा। जिस रवन्ना में प्रकाष्ठ की मात्रा वजन में अंकित होगा उसे शून्य मानते हुये रवन्ना जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
10. किसी भी स्थिति में रवन्ना नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न अधिकारी के द्वारा जारी नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(डा0 रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक
उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक-सु-२५२/तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0।
5. समस्त उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
6. गार्ड बुक।

(डा0 रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक
उ0प्र0 लखनऊ